

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा-4(1)

बिन्दु क्रमांक 24

डिसकेशनरी और नॉन-

डिसकेशनरी अनुदान (विवेकाधीन

और गैर-विवेकाधीन अनुदान)

— — — निरंक — — —